

Speed post /त्रिव डाक

भारत सरकार
खानमंत्रालय
भारतीय खान ब्यूरो
क्षेत्रीय खाननियंत्रायक का कार्यालय
माखपुरा औद्योगिक क्षेत्र, अजमेर
ई-मेल: ro.ajmer@ibm.gov.in

**Show-cause Notice/कारण बताओ नोटिस**

Government of India
Ministry of Mines
Indian Bureau of Mines
Office of the Regional Controller of
Mines, Makhapura Industrial Area,
Ajmer- 305002
Ph-145-2695165/2695476 Fax-
2695202



संख्या: 4960/MCDR-MiFL0LST/22/2023-AJM -IBM_RO_AJM दिनांक: /11/2024

प्रेषित: खान एजेंट,

ठंडीबेरी चुनापत्थर खान,

मेसर्स अल्ट्रा टेक नाथद्वारा सिमेन्ट लिमिटेड,

गाँव: ठंडीबेरी, तहसील: पिंडवारा,

जिला: सिरौही (राजस्थान), पिन: 307031

(e-mail: bhismadeb.sahoo@adityabirla.com, pranjal.bhatnagar@adityabirla.com)

विषय: राजस्थान राज्य के सिरौही जिले में स्थित आपकी ठंडीबेरी चुनापत्थर खान में खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के उल्लंघन के संदर्भ में।

महोदय,

The following provision of Mineral Conservation and Development Rules, 2017 (hereinafter referred as MCDR, 2017) were found violated in your above said mine during inspection on 12/11/2024 and 13/11/2024 by undersign in presence of your good-self, Sri Pranjal Bhatnagar, Geologist of your mine.

Rule	Status and extent of violation
45(7)	On examination of the Annual return for the year 2023-24 following discrepancy have been observed: (1) Part II A, Section 2 and 3: An interest amount of RS. 77880432 has been furnished under section 3, however, details of loan outstanding under section 3 is not furnished. (2) Part V, Section 1: As per submitted draft Modification in Review of mining plan, a total 129 exploratory bore holes have been drilled with 12241.18 meters of drilling. However, same has been furnished as 130 bore holes with 12795 meters of drilling. (7) Part-VII (cost of production): The proposed production figure in second table of part-VII under heading "production proposal for the financial year 2023-24" is not matching with the approved document dated 07/11/2023.

02. इस संदर्भ में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि उपरोक्त नियम का उल्लंघन खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के नियम 62 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है एवं उपरोक्त नियम के उल्लंघन की अनुपालन नहीं होने पर खनिज संरक्षण एवं विकास नियमावली, 2017 के अंतर्गत:
- (क) आपकी खान कि सारी संक्रियाए बंद की जा सकती है।
(ख) आपके विरुद्ध अभियोग दायर किया जा सकता है।
(ग) राज्य सरकार को खनन पट्टे कि समाप्ति की सिफारिश जा सकती है।
03. इस संबंध में आपका ध्यान आकर्षित किया जाता है कि नियम 45(7) के उल्लंघन के लिए खनिज संरक्षण एवं विकास (संशोधन) नियम 2021 कि अनुसूची -2 के प्रावधान लागू होंगे।
04. अतः आपको सलाह दी जाती है कि आप परोक्त नियम के उल्लंघन का अतिशीघ्र सुधार करें एवं सुधार की स्थिति कि सूचना इस पत्र के जारी होने कि दिनांक से 30 (तीस) दिनों दिनों के भीतर इस कार्यालय को सूचित करे।

05. कृपया ध्यान रखें के भविष्य में आपको इस संदर्भ में कोई सूचना अथवा अतिरिक्त समय नहीं दीया जाएगा।

भवदीय

(दिलीप जैन)

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर

प्रतिलिपि सूचनार्थ प्रेषित:

1. खान नियंत्रक (उत्तर) भारतीय खान ब्यूरो, उदयपुर। (email द्वारा)
2. निदेशक, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, उदयपुर।
3. खनि अभियंता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, राजस्थान सरकार, सिरोही।
4. रक्षित पत्रवली।

वारिष्ठ खनन वैज्ञानिक
भारतीय खान ब्यूरो, अजमेर